कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी
Krishi Vigyan Kendra, Bundi
प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
Directorate of Extension Education, Agriculture University, Kota
पो.बॉक्स नं. 04, श्योपुरिया बावड़ी, बून्दी
P.B. 04, Shyopuriya Baori, Bundi

डॉ. हरीश वर्मा
वरिष्ठ वैज्ञानिक
एवं अध्यक्ष

☎ : 7014601475
E-mail : kvkbundi@aukota.org
kvkbundiaukota@gmail.com

क्रमांक : / केवीके / बून्दी / निविदा / 2025 / 189–194 दिनांक :16.06.2025

<u>खुली निविदा सूचना संख्या – 04 / 2025–26</u>

दूध की बिक्री दर हेतु

कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी द्वारा केन्द्र पर स्थित डेयरी फार्म के लिए वर्ष 2025–26 के लिए दूध बिक्री करने हेतु खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित लागत 5.00 लाख रुपये है। निविदा प्रपत्र कृषि विज्ञान केन्द्र पर कार्यालय दिवस में दिनांक 16.06.2025 से उपलब्ध रहेगा जिसे 500 /– रुपये जमा करवा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा जमा करवाते समय धरोहर राशि 25,000 /– रुपये चेक / डीडी द्वारा Programme Coordinator, Krishi Vigyan Kendra, Bundi के नाम जमा करवानी होगी। निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम दिनांक व समय 26.06.2025 को सुबह 11.00 बजे तक रहेगी। निविदा उसी दिन दोपहर 2:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र एवं शर्तें http://sppp.rajasthan.gov.in तथा विश्वविद्यालय की वेबसाईट http://aukota.org से डाउनलोड कर भी प्राप्त की जा सकती है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
2. श्रीमान निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
5. नोटिस बोर्ड, कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी (राज0)
(कृषि विश्वविद्यालय, कोटा)

दूध बिक्री का निविदा फार्म

इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित खुली निविदा संख्या–04/2025–26, क्र.सं./के.वी.के./बून्दी/निविदा/2025/189–194, दिनांक 16.06.2025 के सम्बन्ध में सर्व साधारण से वर्ष 2025–26 (1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक या आगामी निविदा होने तक) के लिए दूध बिक्री करने की दरें आमंत्रित की जाती है जिसकी नियम शर्ते निम्न प्रकार होगी।

1. दूध सुबह–शाम निश्चित समय सीमा में ही उठाना होगा। दूध मिलने के समय की जानकारी डेयरी इंचार्ज से लेनी होगी।
2. कोई भी ठेकादार अपने नाम हुये ठेके के कार्य को अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है उसे स्वयं उक्त कार्य को करना होगा।
3. दूध एक जगह, एक बर्तन में, एक साथ नापा या कांटे से तोला जाऐगा। दूध की नाप केन्द्र की ही मान्य होगी।
4. ठेकेदार दूध लेने के लिए खुद अपने बर्तन लायेगा।
5. दूध की मात्रा समय–समय पर कम ज्यादा हो सकती है।
6. निविदादाता शिक्षित एवं अनुभवी होना चाहिए। दूध समय से नहीं उठाने या खराब होने पर दूध का भुगतान स्वयं ठेकेदार करेगा।
7. जिस व्यक्ति के नाम टेण्डर अन्तिम होगा उसे बतौर धरोहर रू. 25000/–(अक्षरे पच्चीस हजार रुपये) जमा कराने एवं दो खाली चेक जमा कराने के बाद ही कार्य आदेश दिया जावेगा।
8. दूध की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले कार्यालय में जमा करा कर रसीद डेयरी इंचार्ज को दिखानी होगी। दूध का भुगतान हर माह 10 तारीख तक जमा नहीं होता है, तो प्रतिदिन के हिसाब से केन्द्र द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क ठेकेदार को देना पड़ेगा।
9. स्टाफ को दिये गये दूध का भुगतान अपने स्तर पर जमा करवाना होगा, इसमें केन्द्र की जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. प्रतिदिन के कुल दूध उत्पादन का हिसाब दी गई तालिका पर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना होगा। हिसाब में हुई गड़बड़ी के लिए केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
11. उक्त कार्य संतोषजनक नहीं रहा तो बिना बताये धरोहर राशि जब्त कर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
12. ठेकेदार के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना व मारपीट आदि की घटना की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
13. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र न्यायालय बून्दी होगा।
14. कार्य का ठेका देना अथवा नहीं देना इसका निर्णय करने का पूर्ण अधिकार केन्द्र प्रभारी के पास सुरक्षित रहेगा।
15. बिना कारण बताऐं हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता टेण्डर को निरस्त कर सकता है।

मुझे उपरोक्त सभी शर्ते मंजूर है। मैं वर्ष 2025–26 के लिए दूध ....रु प्रति ली की दर से खरीदने को तैयार हूँ।

हस्ताक्षर

फर्म का नाम..

पता...

मोबाईल नंबर ....